

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतम बुद्ध नगर

पत्रांक:नियो0/2019/विविध/ 80-6/154
दिनांक 29/01/2019

सेवा में,

अध्यक्ष, आई0आई0ए0,
सीएफसी भवन निकट पोस्ट आफिस
नोएडा-दादरी रोड
सूरजपुर ग्रेटर, नोएडा

महोदय,

दिनांक 07.01.2019 मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं ग्रेटर नोएडा इण्ड्रियल एसोसियन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के क्रम में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र स्थित निर्मित औद्योगिक इकाइयों जिनका आपत्तियों के निराकरण होने की दशा में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सका है, उन इकाइयों के भवन कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न तिथिवार कैम्प लगाया जायेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | सैक्टर का नाम | दिनांक | समय |
|-------------|---|--------------------------|--------------|
| 1 | इकोटेक-1(सैक्टर-31) (इकोटेक-1 विस्तार एवं इकोटेक-1 विस्तार-1) | 06.02.2019 07.02.2019 | 02 से 06 बजे |
| 2 | इकोटेक-2 | 11.02.2019 | 02 से 06 बजे |
| 3 | इकोटेक-3 (उद्योग केन्द्र, उद्योग केन्द्र-1, 2, महिला उद्यमी पार्क-1,2) | 13.02.2019 14.02.2019 | 02 से 06 बजे |
| 4 | इकोटेक-6 | 18.02.2019 | 02 से 06 बजे |
| 5 | इकोटेक-8 | 20.02.2019 | 02 से 06 बजे |
| 6 | इकोटेक-12 | 21.02.2019 | 02 से 06 बजे |

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथियों में भवन कार्यपूर्ति से सम्बन्धित समस्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्राधिकरण कार्यालय में प्रपत्रों के साथ उपस्थित होने हेतु औद्योगिक इकाइयों के आवंटियों को सूचित करने का कष्ट करें, जिससे उनके लम्बित कम्प्लीशन सर्टिफिकेट से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(कृष्ण कुमार गुप्ता)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:

- स्टॉफ़ आफिसर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
- स्टॉफ़ अपर आफिसर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(जी0/के0) के संज्ञानार्थ।
- उप महाप्रबन्धक(उद्योग) को इस आशय के साथ औद्योगिक इकाइयों के आवंटियों/एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सूचित कर निर्धारित दिनाकों में कैम्प में उपस्थित होने का कष्ट करें।
- महाप्रबन्धक(परियोजना) पी0/एस0 को सम्बन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक को कैम्प में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करना चाहें।
- ✓ प्रबन्धक(सिस्टम) को प्राधिकरण की बैबसाइड पर इस सूचना को निर्धारित दिनाकों तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- नगर नियोजक/वरिष्ठ कार्यपालक(नियोजन) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुपालनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

29.01.19